

पत्रावली आज पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत वाद विद्वा किये जाने के प्रस्तुत कर मौखिक अभिकथन किया है कि पक्षकारान में समझौता हो गया है। अतः वादी अब वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा वाद को इसी स्तर पर विद्वा करना चाहता है, अतः वाद को विद्वा की अनुमति/आदेश प्रदान की जावे।

हमने वादी को सुना व तथ्यों पर मनन किया। चूंकि वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा इसी स्तर पर विद्वा करना चाहता है। अतः वाद वादी विद्वा के आधार पर खारिज किया जाता है। वादी द्वारा अपनी पहचान के संदर्भ में आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति पेश की है तथा वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट एड. द्वारा की गई।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

